

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2015/881,

दिनांक:- 19/11/15

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड-चित्तौड़गढ़ के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध सरप्लस आवासों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय के प्रस्तावानुसार नियमानुसार खुली बिक्री योजना में किराय कय पद्धति/नगद भुगतान पद्धति के माध्यम से मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.33/मुसप्र/खुली बिक्री/10-11/2107 दिनांक 12.11.2010 के निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने की स्वीकृति निर्देशानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कॉलोनी का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या
1.	बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़	EWS-I	3/61, 3/63, 3/67, 3/68, 3/128, 3/132, 3/135, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/145, 3/147 = 13
2.	बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़	EWS-II	3/31(A), 3/32(A), 3/37(B), 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/25(A), 3/26(A), 3/28(A), 3/30(A) = 13
3.	बड़ीसादड़, चित्तौड़गढ़	LIG	1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, 1/15, 2/27, 2/28, 2/30, 2/33, 2/34 = 13
कुल			= 39
4.	सैती सेगवा रोड, फैंज-III, चित्तौड़गढ़	LIG	3-B-20, 3-B-26, 3-C-15, 3-B-17 = 04
5.	सैती सेगवा रोड, फैंज-III, चित्तौड़गढ़	MIG-A	3-B-12, 3-B-16, 3-C-28, 3-L-14, 3-L-15, 3-L-10, 3-L-17, 3-L-19, 3-L-21 = 09
6.	सैती सेगवा रोड, फैंज-III, चित्तौड़गढ़	HIG	2-B-18, 3-A-10, 3-A-12, 3-A-19, 3-A-5, 3-H-8, 3-H-7 3-A-24, 3-A-29, 3-A-26, 3-A-25, 3-A-16, 3-A-13, 3-A-15, 3-A-14, 3-A-21, 3-A-18 = 17
कुल			69

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय/उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर खुली बिक्री से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य आवास खुली बिक्री हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे। खुली बिक्री योजना में आवासों का निस्तारण किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती है, यह भी पूर्णतयः सुनिश्चित करे। खुली बिक्री योजना हेतु दर्शाये गये आवासों पर कोई न्यायिक विवाद नहीं है तथा उक्त आवासों का निरस्तीकरण नियमानुसार किया गया है।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त महोदय नोटशीट पैरा 137-138/एन पर अनुमोदित है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष महो./आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर, रा0आ0म0 उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड चित्तौड़गढ़, रा0आ0म0 चित्तौड़गढ़।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0ए जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक